



2026:AHC:127430

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक प्रकीर्ण जमानत आवेदन संख्या - 19931/2026

विपिन

.....आवेदक(ओं)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....विरोधी पक्ष(ओं)

आवेदक(ओं) के अधिवक्ता : राम बाबू

विरोधी पक्ष(ओं) के अधिवक्ता : जी.ए.,

न्यायालय संख्या - 45

माननीय न्यायमूर्ति विवेक कुमार सिंह

1. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता श्री राम बाबू और उत्तर प्रदेश राज्य के विद्वान एजीए को सुना।
2. तत्काल जमानत आवेदन आवेदक की ओर से मुकदमा अपराध संख्या 158/2025 में भारतीय न्याय संहिता की धारा 191(2), 190, 125, 326(छ), 333, 324(4), 115(2), 351(2), 3(5) और आपराधिक कानून संशोधन अधिनियम की धारा 7, पुलिस स्टेशन - सेक्टर-63, जिला - गौतम बुद्ध नगर के तहत दायर किया गया है, जिसमें उसे जमानत पर रिहा करने की प्रार्थना की गई है।
3. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि आवेदक को वर्तमान मामले में झूठा फंसाया गया है। उसका कथित अपराध से कोई लेना-देना नहीं है। दिनांक 14.04.2026 की प्रथम सूचना

"अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



रिपोर्ट में किसी का नाम नहीं था। जांच के दौरान, आवेदक और अभय और अनमोल सहित कई अन्य व्यक्तियों को आरोपी बनाया गया था। आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने आगे तर्क दिया कि सह-अभियुक्तों, अर्थात् अभय और अनमोल को इस न्यायालय की समन्वय पीठों द्वारा आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या 18553/2026 और 19238/2026 में पारित दिनांक 11.06.2026 और 03.06.2026 के आदेशों द्वारा जमानत दे दी गई है। उपरोक्त सह-अभियुक्त के जमानत आदेशों की प्रतियां आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत की गई हैं, जिन्हें अभिलेख पर लिया गया है। आवेदक का मामला उपरोक्त सह-अभियुक्त के बराबर है। आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने आगे तर्क दिया कि आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है और वह 13.04.2026 से जेल में है। यदि उसे जमानत पर रिहा किया जाता है, तो वह जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा और मुकदमे में सहयोग करेगा।

4. दूसरी ओर, विद्वान एजीए ने जमानत देने के लिए प्रार्थना का विरोध किया, हालांकि, वह इस तथ्य पर विवाद नहीं कर सके कि समान रूप से स्थित सह-अभियुक्तों, अर्थात् अभय और अनमोल को इस न्यायालय की समन्वय पीठों द्वारा जमानत दी गई है।

5. मैंने पक्षों के लिए विद्वान अधिवक्ता द्वारा की गई प्रतिद्वंद्वी प्रस्तुतियों पर विचार किया है और अभिलेख पर लाई गई सामग्री का अवलोकन किया है।

6. मामले के संपूर्ण तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, विशेष रूप से इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि समान रूप से स्थित सह-अभियुक्तों, अर्थात् अभय और अनमोल को इस न्यायालय की समन्वय पीठों द्वारा जमानत दे दी गई है और उन्हीं आदेशों को माननीय सर्वोच्च

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



न्यायालय द्वारा रद्द या रोक नहीं दी गई है, और आवेदक 13.04.2026 से जेल में बंद है, मैं आवेदक को जमानत पर परिवर्धन करना उचित समझता हूँ।

7. जमानत आवेदन की **अनुमति** है।

8. आवेदक - **विपिन**, जो उपरोक्त मामले के अपराध में शामिल है, को निम्नलिखित शर्तों के अधीन संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के लिए एक व्यक्तिगत बांड और दो जमानतदार प्रस्तुत करने पर जमानत पर रिहा किया जाए। इसके अलावा, रिलीज आदेश जारी करने से पहले, जमानतदारों का सत्यापन किया जाना चाहिए।

(i) आवेदक इस आशय का एक वचनपत्र दायर करेगा कि जब गवाह न्यायालय में उपस्थित हों तो वह साक्ष्य के लिए निर्धारित तिथि को कोई स्थगन नहीं मांगेगा। इस शर्त की चूक के मामले में, विचारण न्यायालय के लिए इसे जमानत की स्वतंत्रता के दुरुपयोग के रूप में माना जाएगा और कानून के अनुसार आदेश पारित किया जाएगा।

(ii) आवेदक व्यक्तिगत रूप से या अपने अधिवक्ता के माध्यम से निर्धारित प्रत्येक तारीख पर विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित रहेगा। उसकी अनुपस्थिति के मामले में, पर्याप्त कारण के बिना, विचारण न्यायालय उसके खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 229-क / भारतीय न्याय संहिता की धारा 269 के तहत कार्रवाई कर सकता है।

(iii) यदि आवेदक मुकदमे के दौरान जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग करता है और अपनी उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 82 / भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 84 के तहत उद्घोषणा जारी की जा सकती है और यदि आवेदक ऐसी उद्घोषणा में निर्धारित तारीख को न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने में विफल रहता है, तो, विचारण न्यायालय भारतीय न्याय

"अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



संहिता की धारा 174-क /भारतीय न्याय संहिता की धारा 209 के तहत, कानून के अनुसार, उसके खिलाफ कार्यवाही शुरू करेगा।

(iv) आवेदक (1) मामले को खोलने, (2) आरोप तय करने और (3) दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के तहत बयान दर्ज करने के लिए निर्धारित तारीखों पर विचारण न्यायालय के समक्ष व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहेगा। यदि विचारण न्यायालय की राय में आवेदक की अनुपस्थिति जानबूझकर या पर्याप्त कारण के बिना है, तो विचारण न्यायालय के लिए इस तरह की चूक को जमानत की स्वतंत्रता के दुरुपयोग के रूप में माना जाएगा और कानून के अनुसार उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

9. उपरोक्त शर्तों में से किसी के उल्लंघन के मामले में, यह जमानत रद्द करने का आधार होगा।

10. यह स्पष्ट किया जाता है कि आवेदक को जमानत देने में की गई टिप्पणियां गवाहों की गवाही के आधार पर अपनी स्वतंत्र राय बनाने में किसी भी तरह से विद्वान विचारण न्यायाधीश को प्रभावित नहीं करेंगी।

(माननीय न्यायमूर्ति विवेक कुमार सिंह)

16.06.2026

राधिका

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”